:: आदेश ::

अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(प्रशासन) सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक 1295/लेखा–ब/वे0प0, लखनऊ दिनांक 27.12.2019 के अनुपालन में प्रतिनियुक्ति पर बैंक में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को शासनादेश सं0 3/2021–वे0आ0–1–380/दस–2021–8(एम)/2016, दिनांक 24.08.2021 के क्रम में दिनांक 01.07.2021 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 17 प्रतिशत की विद्यमान दर से बढ़ाकर मूल वेतन के 28 प्रतिशत की दर से देय होगा। दिनांक 01.01.2020 से 30.06.2021 तक की अवधि में मंहगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 17 प्रतिशत ही रहेगी।

1. उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आगणन हेतु मूल वेतन का तात्पर्य दिनांक 01.01.16 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य वेतन भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
2. इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनकी सेवावधि तक देय होगा, जो प्रभावी तिथि को कार्यरत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों यथा–अनुशासनिक कारणों से, त्यागपत्र, सेवानिवृत्त, मृत्यु या सेवाविमुक्ति के फलस्वरूप समाप्त हो गई हैं।
3. इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार उल्लिखित भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(ए0के0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या 16 /स्थापना/मं0भत्ता/2021–22, दिनांक : 1-9-2021

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,उ0प्र0।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक

:: आदेश ::

बैंक में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो बैंक आदेशांक 24607/स्थापना/10-11 दिनांक 26.05.11 द्वारा लागू छठे वेतनमान की पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नही किया गया है अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू नहीं है, अर्थात जो कार्मिक पंचम वेतनमान में अभी भी कार्यरत है, को **शासनादेश संख्या-सं0-5/2021-वे0आ0-1-458/दस-2021-8(एम)/2016, दिनांक 26.08.2021 के कम** में दिनांक 01.07.2021 से मंहगाई भत्ता मूल वेतन के 312 प्रतिशत की विद्यमान दर से बढ़ाकर मूल वेतन के 356 प्रतिशत की दर से देय होगा। दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 30.06.2021 तक की अवधि में मंहगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 312 प्रतिशत ही रहेगी।

उपर्युक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आंकलन हेतु वेतन का तात्पर्य दिनांक 01.01.96 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में कर्मचारियों को अनुमन्य मूल वेतन जैसा कि मूल नियम-9(21)(1) में परिभाषित है, से होगा।

1. माह जुलाई, 2021 के एरियर भुगतान के सम्बन्ध में आगामी प्रबन्ध समिति की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत कर निर्णयानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
2. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01.01.96 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है अर्थात दिनांक 01.01.96 के पूर्व के वेतनमानों के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा बैंक के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 01.01.96 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनाम में ही बने रहने का विकल्प दिया है, को दिनाक 01.07.2021 से संशोधित दरो पर महंगाई भत्ते की कोई स्वीकृति उपर्युक्त शासनादेश संख्या-सं0-5/2021-वे0आ0-1-458/दस-2021-8 (एम)/2016, दिनांक 26.08.2021 में नहीं प्रदान की गयी है।
3. इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनकी सेवावधि तक देय होगा, जो प्रभावी तिथि को कार्यरत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों यथा-अनुशासनिक कारणों से, त्यागपत्र, सेवानिवृत्त, मृत्यु या सेवाविमुक्ति के फलस्वरूप समाप्त हो गई हैं।
4. मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार उल्लिखित भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(ए0के0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या 15 /स्थापना/मं0भत्ता/2021-22, दिनांक : 1-9 2021

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय प्रवन्धक/वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,उ0प्र0।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक

:: आदेश ::

बैंक में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो बैंक आदेशांक–24607/स्थापना/10–11 दिनांक 26.05.11 द्वारा लागू छठे वेतनमान की पुनरीक्षित वेतन संरचना में कार्यरत है, शासनादेश सं0 06/2021–वे0आ0–1–457/दस–2021–8(एम)/2016, दिनाक 26.08.21 के कम में दिनांक 01.07.2021 से महगाई भत्ता मूल वेतन के 164 प्रतिशत की विद्यमान दर से बढ़ाकर मूल वेतन के 189 प्रतिशत की दर से देय होगा। दिनांक 01.01.2020 से दिनांक 30.06.2021 तक की अवधि में मंहगाई भत्ते की दर मूल वेतन का 164 प्रतिशत ही रहेगी।

1. माह जुलाई, 2021 के एरियर भुगतान के सम्बन्ध में आगामी प्रबन्ध समिति की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत कर निर्णयानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
2. उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में "वेतन" तथा अनुमन्य "ग्रेड वेतन" के योग से होगा, किन्तु नियम वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य वेतन भत्ते आदि भले ही वे मूल नियम के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
3. इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ता उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनकी सेवावधि तक देय होगा, जो प्रभावी तिथि को कार्यरत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों यथा-अनुशासनिक कारणों से, त्यागपत्र, सेवानिवृत्त, मृत्यु या सेवाविमुक्ति के फलस्वरूप समाप्त हो गई हैं।
4. मंहगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार उल्लिखित भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(ए0के0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र संख्या 14 /स्थापना/मं0भत्ता/2021–22, दिनांक : 1-9- 2021

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 उ0प्र0।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक